प्राक्कथन

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित (इरेडा) अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को ऋण देने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मार्च 1987 में स्थापित की गई थी। इसे एकमात्र केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान का दर्जा दिया गया था जो अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा क्षमता के क्षेत्र में विशेष रूप से संस्थागत वित्त प्रदान करती है। इरेडा 1995 में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित और 1998 में भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत की गई थी। यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करती है।

भारत सरकार की बारहवीं योजना (2012-17) के अनुसार, कुल ऊर्जा आवश्यकता की औसत विकास दर ग्यारहवीं योजना (2007-12) में 5.10 प्रतिशत प्रति वर्ष से बारहवीं योजना में 5.70 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ना अपेक्षित है और अक्षय ऊर्जा से आपूर्ति ग्याहरवीं योजना की समाप्ति तक 24,503 मेगावाट (एमडब्ल्यू) से बारहवीं योजना की समाप्ति तक 54,503 एमडब्ल्यू तक तेजी से बढ़ना अपेक्षित है। यह अक्षय ऊर्जा में निवेश की आवश्यकता पर जोर देता है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि के आधार पर, लेखापरीक्षा ने कंपनी अपनी भूमिका कैसे निभा रही है यह मूल्यांकन करने के लिये इरेडा की निष्पादन लेखापरीक्षा की। निष्पादन लेखापरीक्षा ने 2008-09 से 2012-13 तक पांच वर्षों की अवधि कवर की जिसमे अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के चयनित नमूनों की जांच शामिल थी। इस प्रकार पहले की और बाद की अवधि से संबंधित इन चयनित परियोजनाओं से संबंधित मामले, जहां भी आवश्यक थे, शामिल किये गये थे।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश, 2014 और लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के अनुसार बनाया गया है।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर इरेडा, व नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से प्राप्त सहायता के लिये आभार व्यक्त करती है।